न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107/19 **निर्णय दिनांकः–28–02–2020**
(आरसीएमएस सख्या 2019/00118)

1. तुलछीराम पुत्र रिछपाल कुमार जाति कुम्हार निवासी गारबदेसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–12–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 18–12–2003 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 15–16 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 48/34 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 19 में 12 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 20 व 21 में 1 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया प्रार्थी आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी का आवंटन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 07–06–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07–06–2003 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 15–16 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 48/34 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 19 में 12 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 20 व 21 में 1 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के भूमिहीन आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र धोषित करने के पश्चात् अपीलांट का आवंटन, सबूत पेश नहीं करने व आवंटन आदेश प्राप्त करने उपस्थित नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26–02–2003 को व दिनांक 25–08–2003 को नोटिस जारी करते हुए पन्द्रह दिवस में उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया गया। पत्रावली में उक्त नोटिस की विधिवत तामीली का कोई सबूत पत्रवली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त नोटिस अपीलांट के रहवास गारबदेसर तहसील लूणकरनसर के पते पर जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में इतनी कम अवधि में नोटिस की तामील होना व राशि की व्यवस्था कर तहसील कोलायत में उपस्थित होना, अपीलांट के लिये संभव होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि आज दिनांक तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है तथा वह बकाया राशि जमा करवाने को तैयार है।

7. अतः अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–12–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू/कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.03 15:21:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: